




उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अभियंत्रण अनुभाग

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ



संख्या

/ए-5/140

दिनांक :

कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता पंचम वृत्त, मुरादाबाद द्वारा प्रेषित प्रस्ताव के आधार पर आवास आयुक्त (म०) के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा निम्नानुसार निर्गत की जाती है:-

क्र०सं०	परियोजना आई०डी०न०	योजना/परियोजना का नाम/ कार्य का नाम	परियोजना की लागत (रु० लाख में)	लेखा शीर्षक एवं वित्त सं०
1-	074227	मझोला योजना सं०-4, भाग-2, मुरादाबाद स्थित सेक्टर-12 में स्व वित्त पोषित परियोजना के अन्तर्गत 57/128 प्रकार के 36 नग सेमी फिनिशड भवनों के निर्माण कार्य।	395.46	179 / 240 / 16-17

- कार्य की निविदा का नियमानुसार व्यापक प्रचार-प्रसार राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशन कराते हुए एवं परिषद की वेब साइट पर देते हुए किया जायेगा।
- प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाना प्रस्तावित है कि निविदा आदि की कार्यवाही सक्षम स्तर से नियमानुसार सम्पादित करने के उपरान्त वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार व्यय की अनुमति कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्राप्त करनी होगी।
- निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाले पानी की जाँच अवश्य करायी जाये। तदनुसार कार्यवाही की जाये।
- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर परिषद द्वारा निर्गत आदेशों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उनका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में स्वीकृत बजट के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित मात्राओं, कार्य प्राविधानों एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मानक व गुणवत्ता को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
- परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से परियोजना की स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस हेतु किसी अन्य स्रोत से वित्त पोषण नहीं किया जा रहा है।
- खण्ड द्वारा लेबर सेस/सर्विस टैक्स की धनराशि का भुगतान नियमानुसार सम्बन्धित विभाग को किया जायेगा।
- परियोजना की सक्षम स्तर से स्वीकृत ले-आउट प्लान, अनुमन्य मृदाधारण क्षमता तथा अनुमोदित डिजाइन/ड्राइंग के आधार पर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- निर्माण लागत में आगे कोई वृद्धि नहीं होगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जायेगी।
- प्रस्ताव के अनुसार कार्य 08 माह में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(ए० के० शुक्ला)

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर

दिनांक: 04.10.2017

पृ०सं०:

0059

/ए-5/140

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- आवास आयुक्त (म०) के निजी सचिव।
- मुख्य अभियन्ता, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- मुख्य वास्तुविद नियोजक, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर लखनऊ।
- वित्त नियंत्रक एवं वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद।
- अधिशासी अभियन्ता (पी०-2)/निर्माण खण्ड-24, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुरादाबाद।
- मूल्यांकन /सम्परीक्षण अधिकारी, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

A.E. [Signature]

वरिष्ठ स्टाफ आफिसर